झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका - 1299/2023

एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, भारत के कानूनों के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और कार्यालय 4, कॉर्पोरेट पार्ट, सायन, ट्रॉम्बे रोड, डाकघर+थाना - सायन, जिला मुंबई, (महाराष्ट्र) पिन- 400071 है, शैलेंद्र सिंह पवार, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता श्री ओ.एस. पवार, एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) के रूप में कार्यरत हैं और निवासी - 24 सी सफायर-1, कॉसमॉस ज्वेल्स, कावेसर, डाकघर+थाना - कासरवडावली, जिला - ठाणे, (महाराष्ट्र), पिन- 400615 .... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

दीपांकर झा, पिता शंकर झा, निवासी, क्वार्टर नंबर 498, सेक्टर 1/बी, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर+थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो, (झारखंड) पिन: 827001... .... **प्रतिवादी**

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 10.09.2022 के औद्योगिक पुरस्कार को रद्द करने और/या अलग रखने के लिए एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसकी प्रति आई.डी. मामला संख्या 01, 2017 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित इस रिट याचिका के अनुलग्नक-8 में रखी गई है। जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो ने याचिकाकर्ता कंपनी को आवेदक-कर्मचारी (प्रतिवादी) को सेवा की निरंतरता और उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी बहाली तक कुल बकाया वेतन का 30% के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (3) औद्योगिक निर्णायक को किसी व्यक्तिगत कर्मकार की सेवा समाप्ति से संबंधित केवल उन मामलों पर विचार करने का अधिकार प्रदान करती है जो ऐसी समाप्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर उठाए गए हैं और अन्यथा नहीं।

3. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने दिनांक 20.02.2013 के अपने संचार द्वारा प्रतिवादी को 25.02.2013 से कंपनी की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक-1 में रखी गई है। निर्विवाद तथ्य यह है

कि प्रतिवादी ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए 12.04.2017 को एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता जो आई.डी. में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो के समक्ष विपरीत पक्ष-नियोक्ता था। केस संख्या 01/2017 ने श्रम न्यायालय, बोकारो के समक्ष दायर अपने लिखित बयान के पैरा-2 में एक विशिष्ट दलील दी कि यह आवेदन आवेदक द्वारा दायर किया गया है, जो इस रिट याचिका का प्रतिवादी है, यह सुनवाई योग्य नहीं है; इसे आवेदक की बर्खास्तगी की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो के समक्ष दायर किया गया है। विवादित पंचाट में, विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो ने इन दलीलों के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ता, जो विवादित पंचाट के पैरा-3 में इसके समक्ष विपक्षी पक्ष था, के निवेदन को भी दर्ज किया, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत दायर आवेदन की वैधता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया और न ही उक्त दलीलों के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार किया कि इस रिट याचिका के प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (3) द्वारा वर्जित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की खंडपीठ के जाफिर खान बनाम महाप्रबंधक, जामाडोबा कोलियरी, मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2020 एससीसी ऑनलाइन झारखण्ड 1773 के पैराग्राफ-21 और 22 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:-

> "**21.** धारा 2-ए की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवामुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी या अन्यथा सेवा समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण में किया जाएगा।
>
> **22.** वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को दिनांक 01.04.2013 से सेवा से पृथक कर दिया गया था। 31.03.2003 को आवेदन किया गया था, लेकिन आवेदन 12 वर्ष बीत जाने के बाद दायर किया गया था और अधिनियम, 1947 की धारा 2-ए, जो विवाद के शीघ्र निपटान के लिए है और उपधारा 3 के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि "उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वहन, बर्खास्तगी, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन साल के भीतर श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष अनिवार्य रूप से आवेदन दायर किया जाना चाहिए" लेकिन निश्चित रूप से आवेदन 12 वर्ष बीत जाने के बाद दायर किया गया था, हमारे विचार में, धारा 2-ए की उपधारा 3 के तहत प्रदान की गई विशिष्ट रोक के मद्देनजर, ऐसा आवेदन श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए

जाने योग्य नहीं था।"

और प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने माना है कि औद्योगिक निर्णायक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत किसी आवेदन पर संबंधित कर्मचारी की सेवामुक्ति/बर्खास्तगी/छंटनी या अन्यथा समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय तक विचार नहीं कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

5. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **यूको बैंक बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2367/2016 दिनांक 08.01.2018 के पैराग्राफ-14 और 15 के निर्णय का भी हवाला दिया है, जो इस प्रकार है:-

> "**14.** धारा 2-ए की उपधारा (3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बर्खास्तगी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात धारा 2-ए की उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
>
> **15.** अतः धारा 2-ए की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक प्रावधान के मद्देनजर औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को संदर्भित करना स्पष्ट रूप से गलत था।"

और प्रस्तुत करता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी वही मत है जो इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ का **जाफिर खान बनाम महाप्रबंधक**, **जामाडोबा कोलियरी**, **मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड एवं अन्य (सुप्रा)** मामले में था।

6. अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **मैसर्स आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड**, **बैंगलोर बनाम श्री वेंकटरमण उप्पाडा** के मामले में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है, जो **2016 एससीसी ऑनलाइन कार 538** के पैराग्राफ-26 और 27 में दर्ज है:-

> "**26.** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 2ए की उपधारा (3) को अनिवार्य माना गया है और उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, छंटनी या सेवा समाप्ति के मामले में धारा 2ए की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन तीन वर्ष की समाप्ति से पहले, यानी 10.02.2012 को या उससे पहले किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं किया गया है, प्रतिवादी-कर्मचारी को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि देरी को माफ किया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह माना जाना चाहिए कि सेवामुक्ति, बर्खास्तगी आदि की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने पर, धारा 2ए को लागू करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
>
> **27.** पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि बिंदु संख्या (i) और (ii) का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए, अर्थात,

श्रम न्यायालय, बर्खास्तगी, छंटनी या सेवा समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष के बाद आयकर अधिनियम की धारा 2ए(2) के तहत दायर दावा याचिका पर विचार नहीं कर सकता है और दावा याचिका दायर करने में 730 दिनों की देरी को माफ करने में श्रम न्यायालय का कोई औचित्य नहीं था।

और प्रस्तुत करता है कि निर्वहन/बर्खास्तगी/छंटनी आदि की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) को लागू करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत संदर्भ के विपरीत, जिसके लिए, निश्चित रूप से, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपित पुरस्कार, श्रम न्यायालय, बोकारो के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आई.डी. केस संख्या 01/2017 में पारित दिनांक 10.09.2022 का औद्योगिक पुरस्कार है, जो कानून के स्थापित सिद्धांत के उल्लंघन में और प्रतिवादी-कर्मचारी की समाप्ति के 3 वर्ष से अधिक होने के अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है, इसे रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील, **रघुबीर सिंह बनाम महाप्रबंधक**, **हरियाणा रोडवेज**, **हिसार** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो (**2014) 10 एससीसी 301** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें उस मामले के तथ्यों में जब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (सी) के तहत संदर्भ दिया गया था, तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अजायब सिंह बनाम सरहिंद सहकारी विपणन सह प्रसंस्करण सेवा सोसायटी लिमिटेड और अन्य** के मामले में तय कानून के सिद्धांत को दोहराया था, जो (**1999) 6 एससीसी 82** में रिपोर्ट किया गया था, इस आशय का कि श्रम न्यायालय के किसी भी संदर्भ पर आम तौर पर केवल देरी के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मेसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम न्यायाधीश**, **श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण**, **भीलवाड़ा एवं अन्य** के मामले में दिनांक 27.08.2015 को डी.**बी. सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) संख्या 801/2014** में पारित निर्णय का हवाला दिया, जो उपयुक्त सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के तहत संदर्भित किए गए मामले में था, जब श्रम न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था और प्रबंधन ने एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन श्रम न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए प्रबंधन के आवेदन को खारिज कर दिया था, क्योंकि निर्णय की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसे दायर

नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रबंधन के आवेदन को खारिज कर दिया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ ने क्रमशः आवेदन और अपील को खारिज कर दिया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सी) सी.सी. संख्या 22895/2015 में विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया।

9. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **सहायक अभियंता**, **राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड**, **उप-मंडल**, **कोटा बनाम मोहन लाल** के मामले में दिनांक 16.08.2013 को **सिविल अपील संख्या 6795/2013 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 11305/2006 से उत्पन्न**) में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उस मामले के तथ्यों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यद्यपि सीमा अधिनियम, 1963 आई.डी. अधिनियम के तहत किए गए संदर्भ पर लागू नहीं होता है, लेकिन औद्योगिक विवाद उठाने में देरी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिसे श्रम न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए, भले ही ऐसी आपत्ति दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई हो या नहीं और प्रस्तुत किया कि देरी के आधार पर किसी श्रमिक को राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, यदि वह राहत के लिए अन्यथा हकदार है।

10. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने **हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड प्रबंधन बनाम टी. सुधाकर रिट याचिका संख्या 739/2021** के मामले में पारित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। जिसमें उस मामले के तथ्यों में, तमिलनाडु राज्य में धारा 2 ए में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, उस मामले के तथ्यों में जहां श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए के तहत उठाए गए औद्योगिक विवाद को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था और श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद की बहाली के लिए याचिका दायर करने में देरी को माफ कर दिया था, मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि तमिलनाडु औद्योगिक विवाद नियम के नियम 48 (1) के मद्देनजर, मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं पाई, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक कल्याणकारी श्रम कानून होने के नाते, निश्चित रूप से तकनीकी दलील कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने **सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के **सिविल रिट**

अधिकारिता केस संख्या 17797/2022 में पारित निर्णय का हवाला दिया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (बी) के तहत कामगार द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया था।

12. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के **उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम बाल किशन एवं अन्य** मामले में **2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 5543** में रिपोर्ट किए गए निर्णय के साथ-साथ **इंद्रा परफ्यूमरी कंपनी बनाम पीठासीन अधिकारी एवं अन्य** मामले में **109 (2004) डीएलटी 927** में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें धारा 17 (बी) के तहत आवेदन की अनुमति दी गई थी और प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिवादी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (बी) के तहत राहत देने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी कर्मचारी को उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें उसे स्वीकार्य रखरखाव भत्ता भी शामिल है।

13. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि श्रम न्यायालय, बोकारो के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आई.डी. केस संख्या 01/2017 में पारित औद्योगिक अवार्ड दिनांक 10.09.2022 होने के कारण आरोपित अवार्ड में कोई अवैधानिकता नहीं है, अतः यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जाए।

14. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस रिट याचिका में उत्तर दिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है:-

> "क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए के तहत औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित औद्योगिक विवाद को औद्योगिक निर्णायक द्वारा संबंधित कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी/छंटनी या अन्यथा समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद भी सुना जा सकता है?"

15. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए का संदर्भ लेना प्रासंगिक है {(औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित} जो इस प्रकार है:-

> **2-ए**. किसी व्यक्तिगत कर्मकार की बर्खास्तगी आदि को औद्योगिक विवाद माना जाएगा। - [(1)] जहां कोई नियोक्ता किसी व्यक्तिगत कर्मकार को सेवामुक्त, बर्खास्त, छंटनी करता है या अन्यथा उसकी सेवाएं समाप्त करता है, वहां उस कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच कोई विवाद या मतभेद जो ऐसी बर्खास्तगी, छंटनी या सेवा समाप्ति से संबंधित है या उससे उत्पन्न

होता है, औद्योगिक विवाद माना जाएगा, भले ही कोई अन्य कर्मकार या कर्मकारों का कोई संघ विवाद में पक्षकार न हो।
(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा कर्मकार, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, विवाद के समाधान के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा, उस तिथि से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात, जब उसने विवाद के समाधान के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया हो, और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद का न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता होगी, मानो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा उसे संदर्भित विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समुचित सरकार द्वारा उसे संदर्भित औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं। **(3)** उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण में डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 1299/2023 के अधीन उपधारा **(1)** में विनिर्दिष्ट सेवामुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी या अन्यथा सेवा समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

16. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कम से कम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए में कुछ राज्य संशोधन किए हैं, लेकिन झारखंड राज्य में कोई राज्य संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त राज्यों द्वारा किए गए राज्य संशोधन झारखंड राज्य पर लागू नहीं हैं और झारखंड राज्य में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए होने के नाते केंद्रीय अधिनियम लागू होगा, जिसे इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उद्धृत किया गया है।

17. अब, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में शुरू से ही औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र था, जिसमें विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत उपयुक्त श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरण आदि को भेजा जाता था।

18. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए की उपधारा 2 (2) और **(**3) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए से उत्पन्न विवादों के मामले में श्रमिक को श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण तक सीधी पहुंच

प्रदान की जा सके। यह संशोधन पीड़ित श्रमिक को अपने विवाद के त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक न्यायनिर्णयन चुनने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत ऐसे उपाय का लाभ उठाने की समय सीमा इस शर्त के साथ आती है कि इसे बर्खास्तगी/मुक्ति/छंटनी आदि की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले दायर किया जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) और 2 ए (3) की शुरूआत; अभी भी विवाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को उचित सरकार द्वारा संदर्भित करने का उपाय खुला है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस तथ्य के मद्देनजर, यह न्यायालय प्रतिवादी के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत किए गए संदर्भों के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि श्रम न्यायालय के किसी भी संदर्भ पर केवल देरी के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, निश्चित रूप से श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं दे सकता है, जैसा कि अधिनियम संख्या 24/2010 द्वारा संशोधित किया गया है; बर्खास्तगी/मुक्ति/छंटनी की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात, जब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (3) के तहत इसके लिए विशिष्ट प्रतिबन्ध हो और यह दृष्टिकोण इस न्यायालय की खंडपीठ के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही रखा जा चुका है, जैसा कि इस निर्णय के पूर्वगामी पैराग्राफों में संदर्भित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को उद्धृत किया गया है।

19. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को इस मामले में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है; कि श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास संबंधित कर्मचारी की सेवा से मुक्ति/बर्खास्तगी/छंटनी आदि की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत आवेदन पर विचार करने की कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं है।

20. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि सेवा समाप्ति 25.02.2013 को हुई थी और प्रतिवादी/आवेदक द्वारा धारा 2 ए के तहत आवेदन 12.04.2017 को दायर किया गया था, अर्थात तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद। इसलिए, निश्चित रूप से, श्रम न्यायालय, बोकारो ने प्रतिवादी-कर्मचारी की बर्खास्तगी/मुक्ति/छंटनी आदि की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत इस तरह के आवेदन

पर विचार करके गंभीर अवैधता की है। यद्यपि श्रम न्यायालय, बोकारो को भी रिट याचिकाकर्ता के इस बचाव के बारे में पता था, जो इसके समक्ष विरोधी पक्ष था, लेकिन इसने उस संबंध में कोई मुद्दा तैयार न करके और रिट याचिकाकर्ता के उक्त तर्क को पूरा न करके भी एक विकृति की।

21. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, चूंकि विवादित निर्णय, श्रम न्यायालय, बोकारो के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आई.डी. केस संख्या 01/2017 में पारित औद्योगिक निर्णय दिनांक 10.09.2022 है, जो विकृति और घोर अवैधता से ग्रस्त है और साथ ही अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है, इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को दिए गए अधिकार क्षेत्र के तहत रद्द किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, श्रम न्यायालय, बोकारो के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आई.डी. केस संख्या 01/2017 में पारित औद्योगिक अवार्ड दिनांक 10.09.2022 को निरस्त किया जाता है।

23. वर्तमान रिट याचिका के निपटारे के मद्देनजर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (बी) के तहत दायर किए गए अंतरिम आवेदन संख्या 8616/2023 में कोई आदेश पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि कार्यवाही लंबित होनी चाहिए, लेकिन इस निर्णय के पारित होने के साथ ही यह कार्यवाही समाप्त हो गई है। तदनुसार, अंतरिम आवेदन संख्या 8616/2023 निष्फल होने के कारण निपटारा हो गया है।

24. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक 01 फ़रवरी, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।